Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
www.researchguru.net
Volume-15, Issue-3, December-2021

प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का स्वरूप और अनुवाद

रमेशभाई के वसावा
मददनीश प्राध्यापक, सरकारी विनयन कॉलेज, देडियापाडा, ई-मेल: rameshkumarvasava@gmail.com
मो. नं : 9574320944

प्रस्तावना :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके द्वारा विभिन्न रूपो में बोली जाने वाली प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा को वैज्ञानिको ने मूल रूप से सामान्य हिंदी एवं प्रयोजनमूलक हिंदी जैसे दो भागो में बांट दिया गया है। विश्व की सभी भाषाओं के गहन अध्ययन से पता चलता है कि मूलत: भाषा के प्रमुख तीन प्रकार हमारे सामने आते हैं। जैसे कि बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का अनोखा माध्यम है। कार्यालयी हिंदी में प्रयोजनमूलक बोलचाल संबंधी एवं साहित्यित भाषा रूपों में प्रयोजनमूलक भाषा के स्वरूप में अधिक गत्यात्मकता दिखाई देती है। आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के कारण विश्व में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है, जिसके कारण भाषागत विकास भी आज चरमोत्कर्ष तक पहुँच रही है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा ज्ञान-विज्ञान क्षेत्र एवं सरकारी कार्यालयों में तथा राजकाज के क्षेत्र में अपना स्तंभ खड़ा किया है। जो स्थान आजतक अंग्रेजी का था वह धीरे-धीरे हिंदी भाषा अपना विस्तार करती जा रही है। चाहे टेक्नॉलोजी, चिकित्सा, कानून आदि क्षेत्रो में हिंदी भाषा काफी पनपी है. हिंदी में प्रयोजनमूलक संदर्भ हिंदी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद पनपते दिखाई देती है। भाषा मानव समाज की अनिवार्य सामाजिक वस्तु है। इसलिए भाषा का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजनमूलकता पर निर्भर करता है। मनुष्य सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को संप्रेषित करने के लिए ही भाषा का जन्म एवं विकास होता है। भाषा दो मुख्य आयामो में कार्य करती है - (1) सौंदर्य परक (2) प्रयोजनपरक आयाम। मानव समाज में सौंदर्य परक आयाम की अनुभूति में आलम्बन के रूप में भाषा सर्जनात्मक होती है। जिसका साहित्यिक भाषा में होता है। भाषा के रूप में होता है। भाषा के प्रयोजनमूलक आयाम का संबंध सामाजिक आवश्यकता एवं जनजीवन की व्यवस्था से होता है। जो भाषा प्रशासन, व्यवस्था व्यवसाय वैज्ञानिक तकनीकी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्ति बनकर भाषाई प्रकार्य निभाति है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त था, विज्ञान के अंतर्गत एक अत्याधिक आधुनिक उपशाखा के रूप में विकसित हुई है। प्रयोजनमूलक शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। (जो भाषा के प्रयोगिकता के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रयोजनमूलक शब्द हिंदी का विशेषण है। जो प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग से प्रयोजनमूलक बनता है।) प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य एवं मूलक का अर्थ है आधारित। जिसका सीधा सरल अर्थ होता है - ऐसी हिंदी जिसका उपयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है,

जिसे अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी के रूप में पहचाना जाता है।

प्रयुक्ति की संकल्पना :

'प्रयोजनमूलक' शब्द में प्रयोजन शब्द में प्रयोगत अर्थ से जुड़ा हुआ है। प्रयोगभेद के कारण भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में विभिन्न भेद दृष्टिपात होते हैं। प्रयुक्ति की संकल्पना भाषा के प्रयोगत पक्ष अर्थात 'प्रयोक्त' प्रयोग के आधार पर विकसित हुई है। 'प्रयुक्ति' का शाब्दिक अर्थ है - प्रयुक्त (प्रयोग में लाया हुआ) +ई (संज्ञा निर्माणक प्रत्यय) भाषा का वह रूप जो कार्यक्षेत्र के विषय में अनेकबार प्रयोग होने के कारण उस कार्यक्षेत्र विशेष भाषिक विशिष्ट का स्वरूप ग्रहण करता है। उसे उस क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहाँ जाता है। भाषा के विभिन्न भेदो को पारिभाषित करने के लिए भाषा की संकल्पना को सही अर्थ में प्रस्तुत करने के लिए भाषा के कई संकल्पनाएँ विकसित हुई है। हिंदी में 'प्रयुक्ति' शब्द अंग्रेजी शब्द 'रजिस्टर' के पर्याय के रूप में प्रयोजन हुआ है। प्रयुक्ति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है।

हैलिडे, मैकिनतोश तथा स्ट्रीवज विद्वानो के मतानुसार बताया गया है कि "लोग भाषा प्रयुक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और उसे समझने के लिए प्रयुक्ति की जरुरत रहती है। समाज के भाषा व्यवहार में भाषा के विभिन्न भेद पायेजाते हैं। इन्हीं प्रयोगगत भाषा के स्वरूप की प्रयुक्ति या 'रजिस्टर' कहाँ जाता है।"

केटफोर्ड के मतानुसार काह है कि "इसे प्रयोक्ता सामाजिक भूमिका के साथ जोड़कर ही देखते हैं. उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग भूमिकाएँ निभाता है वह परिवार का मुखिया मोटर चालक क्रिकेटर का खिलाड़ी या किसी धार्मिक समुदाय का सदस्य या प्रोफेसर आदि हो सकता है. इन भूमिकाओ के निर्वाह में वह विभिन्न भाषारूपों का प्रयोग करता है।"

रीड के अनुसार "कोई भी व्यक्ति भाषावैज्ञानिक दृष्टि से समरूप स्थितियों में समरूप व्यवहार नहीं करता विभिन्न सामाजिक स्थितियों में उसका व्यवहार बदल जाता है। इस दृष्टि से वह विभिन्न भाषा प्रयुक्तियों का प्रयोग करता है।"

व्यक्ति सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर समाज की विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग भूमिकाएँ निभाता है। जो व्यक्ति पैसे से कलेक्टर, डॉक्टर, पुलिस, अफसर आदि समाज में अलग अलग स्तरों पे अपने व्यावसायिक स्थिति में अलग अलग भाषिक भूमिकाएँ निभाता है। इस प्रकार भाषा प्रयुक्तियाँ भी अलग-अलग प्रकार की होती है। कार्यालयी हिंदी हिंदी भाषा की एक प्रयुक्ति है, जिसके कुछ उदाहरण दृष्टव्य है। "(1) आवश्यक मसौदा संलग्न फाइल पताका पर रखा है। (2) मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। (3) इस मामले में विशेष स्वीकृति दी जा सकती है। (4) इन दस्तावेदों की प्रमाणित प्रतियों सचिव महोदय की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाए। (5) एवजी मिलने पर छुट्टी दी जा सकती है।"

इस प्रकार हिंदी ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों के द्वार खुलने से एवं संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति. बहुविध क्षेत्रो, विषयो के लिए सक्षम अभिव्यक्तियां की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियाँ विकसित हुई है।

प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप :

प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के (Functional Hindi) से तात्पर्य है कि विज्ञान विधि

तकनीकी संचार माध्यम अन्य गतिविधियों में प्रयोग होनेवाली हिंदी से है। प्रयोजनमूलक हिंदी एक पारिभाषिक शब्द है जो भाषा के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रयोजनमूलक शब्द प्रयोजन विशेषण में 'मूलक' उपसर्ग लगाने से बना है। 'प्रयोजन' का अर्थ होगा - उद्देश्य या प्रयुक्ति। 'मूलक से तात्पर्य है -आधारित। भाषा के दो पक्ष होते हैं। (1) संरचनात्मक पक्ष और (2) प्रयोग पक्ष। संरचनात्मक पक्ष भाषा अपनी आंतरिक संरचना जो ध्वनि, शब्द, अर्थ रूप वाक्य के स्तर पर होती है। प्रयोग पक्ष समाज द्वारा भाषा का प्रयोग। जो सामाजिक, आर्थिक, विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। भाषा के दोनों पक्ष का अध्ययन भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आता है। प्रयोजनमूलक हिंदी को विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है।

गोदरे, विनोद ने उल्लेखित किया है कि "प्रयोजनमूलक भाषा" का वह रूप है। जिसका प्रयोग किसी विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप माने जाते हैं। पहला जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्य के संदर्भ में होता है एवं जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश संदर्भो से भिन्न किन्हीं कार्यो के संदर्भ में होता है एवं जिसे अभ्यास का नाम विशेष द्वारा प्राप्त किया जाता है।

गोरे, बलभीमराज ने उल्लेखित किया है कि "प्रयोजनमूलक हिंदी हिंदी के भाषिक अध्ययन का ही एक और नाम है, एक और रूप है।"

भाषा के मादयम से मानव समाज अपने भावात्मक विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का कार्य करती है। संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है।

अनुवाद की संकल्पना :

अनुवाद एक ऐसा क्षेत्र है अपनी भाषा से विभिन्न भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपनी भाषा में संप्रेषित करने के लिए अनुवाद शब्द इस समय की देन नहीं बल्की अनुवाद के माध्यम से परस्पर देशवासियों के ज्ञान को तृप्त करते रहे हैं.

अनुवाद सामान्य रूप से दूसरी भाषा में किया गया कार्य अनुवाद कहा जाता है। एक स्त्रोत भाषा से दूसरी लक्ष्य भाषा में किया गया कार्य अनुवाद कहलाता है जितना यह कहने के लिए आसान है उतना ही कठिन कार्य भी है। भाषिक पक्ष में भाषा की संरचना से लेकर उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परिवेशगत विशिष्टताओं को भी ले जाना होता है।

अनुवाद की परिभाषा, अर्थ, स्वरूप :

विश्व के प्राचीन साहित्य में अनुवाद शब्द की जड़े प्राचीनता की दृष्टि से काफी पुरानी है. डॉ. भोलानाथ तिवारी के मतानुसार "अनुवाद शब्द का संबंध वद् धातु से है जिसका अर्थ होता है। बोलना या कहना। वद् धातु में 'धज' प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनता है और फिर उसमें पीछे बाद में अनुवर्विता आदि अर्थ में प्रयुक्त 'अनु' उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द निष्पन्न होता है. अनुवाद का मूल अर्थ है। पुन: कथन या किसी के कहने के बाद कहना।"

प्राचीन समय में अनुवाद शब्द का प्रयोग पुन: कथन कहना, गुरु की बात को शिष्य द्वारा बताना, आवृत्ति, सार्थक आवृत्ति जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग होते थे। हिंदी में अनुवाद शब्द

को अंग्रेजी में Translation शब्द है। अंग्रेजी का Translatiun है जो दो शब्द Trans+latiun से मिलकर बना है। Trans का अर्थ है - पार और latiun का अर्थ है 'ले जाना' या 'नयन'। इस प्रकार एक से दूसरे स्थान ले जाने की स्थिति।

अनुवाद की परिभाषा :

अनुवाद शब्द की जड़े समय की दृष्टि से काफी गहरी है. अनुवाद संबंधी व्यवस्थित सैद्धांतिक पर स्वतंत्र लेखन बीसवीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ -

नाइडा के मतानुसार "अनुवाद का संबंध स्त्रोत भाषा के संदेश का पहले अर्थ और फिर शैली के धरातल पर लक्ष्य भाषा में निकटतम, स्वाभाविक तथा तुल्यार्थक उपादान प्रस्तुत करने से होता है।"

सैमुएल जोन्सन के शब्दों में "मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है।"

हैलिडे के मतानुसार "अनुवाद एक संबंध है जो दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उसे व्यंजित होनेवाला संदेश भी समान होता है।"

भारतीय विद्वानो द्वारा दी गई अनुवाद की परिभाषा :

भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि "एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथा संभव समान और सह अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।"

डॉ. कैलाश चंद्र भाटिया का मत है कि "अनुवाद वह भाषायी प्रक्रिया है जिसके मूल में एक भाषिक संरचना या अभिव्यक्ति का दूसरी भाषिक संरचना या अभिव्यक्ति में रूपांतरण होता है। उन्होंने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहाँ है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ज्यों कि त्यों कहना अनुवाद है।"

मोरेशेवर दिनकर पराडकर के मतानुसार "अनुवाद वास्तव में वो शीशा है जिसमें मूलकृति का हू-ब-हू प्रतिबिम्ब प्रस्तुत होना जरुरी है। सफल अनुवाद तो वही है जो अनुवाद जैसा मालूम न दे।"

उपरोक्त परिभाषाओ के माध्यम से अनुवाद के विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप परिभाषाएँ भी भिन्न भिन्न हो सकती है।

प्रयोजनमूलक भाषा की अनुवाद व्यवस्था :

प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हिंदी का वह स्वरूप की जिसमें प्रशासन के काम आनेवाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग में आते हैं दूसरे शब्दों में सरकारी कामकाज में आनेवाली प्रयोजनमूलक हिंदी है। अनुवाद का कार्य राष्ट्रपति के आदेश सन् 1955 ई., से ही प्रारंभ हो गया है. 27 अप्रैल, 1960 तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार गैर-विधिक नियमों विनियमों एवं अन्य क्रियाविधि साहित्य के अनुवाद की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय एवं सांविधिक नियमों विनियमो एवं आदेशो का अनुवाद विधि मंत्रालय को सुपुर्द किया गया है। धारा 5 के अनुसार केन्द्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। धारा 5 (ii) जो दिनांक 01/10/1976 से प्रवृत हुई है के जिसके अनुसार सांसद के विधायको, संशोधनों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। धारा 6 जो दिनांक 19/05/1969 से प्रवृत हुई है उनके अनुसार अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। 27 अप्रैल 1960 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार एक अक्तुबर, 1961

में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। और पहली मार्च 1971 से 'केन्द्रीय अनुवाद ब्युरो' की स्थापना गृहमंत्रालय के अंतर्गत की गई है।

पारिभाषिक शब्द और अनुवाद :

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई जिसके कारण पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता महसूस होने लगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली के लिए स्थायी आयोग की रचना करने की व्यवस्था की गई है जिसे अक्तुबर 1961 में दिल्ली में हुई है और इसे तब तक निर्मित शब्दावली के समन्वय, शब्दावली निर्माण के सिद्धांतो का निर्धारण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कोशो का निर्माण आयोग द्वारा तैयार किया है।

पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप :

पारिभाषिक शब्दावली प्रशासन के कामकाज में जिन टिप्पणीयों तथा रूढ़ शब्दो का प्रयोग होता है, जिसे प्रशासनिक शब्दावली कहाँ जाता है। पारिभाषिक शब्दावली में अभिधा का ही स्थान है. जिसमें लक्षणा एवं व्यंजना का कोई स्थान नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली को अंग्रेजी में टेकनिकल टर्मिनॉलोजी शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी का Technical शब्द Technique से बना है। Technique शब्द ग्रीक भाषा के टेकन Tekhne शब्द से व्युत्पति हुई है। अंग्रेजी का टेकनिकल शब्द हिंदी में ध्वनि की दृष्टि से अनुफलित होकर तकनीकी शब्द बन गया है। अंग्रेजी के टेकनिकल शब्द का अर्थ होता है। तकनीकी, प्राविधिक, यांत्रिक, शास्त्रीय, कानूनी, विधि पारिभाषिक आदि शब्द प्रयोग होते हैं। पारिभाषिक शब्द परिभाषा संज्ञा का विशेषण है। जिसकी रचना परिभाषा में 'इक' प्रत्यय लगाकर हुई है। इसका अर्थ होता है - व्याख्यान प्रवचन, विश्लेषण परिभाषा शब्द की व्युत्पति परि+भाष धातु में 'परि' उपसर्ग लगाकर पारिभाषिक शब्द बना है। 'परि' उपसर्ग का अर्थात किसी विशेषार्थ का संकेत है। 'भाष' धातु का अर्थात भाव विचार या संकल्पना कथन व्यक्त करनेवाला अत: उसका अर्थ है विशिष्ट।

रेण्डम हाऊस में उल्लेखित किया है कि "विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द, अधिकांशत: कला का शब्द है।"

पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएँ :

किसी शब्द के अर्थ का संबंधित ज्ञान के क्षेत्र में विशेष संदर्भ में सही और सपष्ट तरीके से पारिभाषित करना चाहिए। डॉ. भोलानाथ तिवारी के ग्रंथ पारिभाषिक शब्दावली तथा युनेस्को की और से प्रोफेसर ओगस्टिन सेवोर्न के ग्रंथ साईटिफिक एण्ड टेकनिकल ट्रान्सलेशन एण्ड अंदर आस्पेकटस ऑफ लैग्वेज प्रोब्लेम में पारिभाषिक शब्दावली पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जिसके आधार पर पारिभाषिक शब्दावली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार है -

- उच्चारण में सरलता
- सुस्पष्टता एवं अर्थस्पष्टता
- संक्षिप्तता
- संरचनाशीलता
- समन्वयीकरण
- मूलनिष्ठता

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुवाद व्यवस्था

भारत के स्वतंत्रता के पहले कई शासको ने अपना राज किया। 1947 से पूर्व भी कई रियासत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था ओर सभी कार्य हिंदी में होते थे। 26 नवम्बर, 1949 में संविधान सभा में संविधान का अंतिम रूप दिया गया और 26 जनवरी, 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। जिसे इतिहास में हिंदी भाषा को भारत की संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई। संविधान के 5,6,17 इन तीन भागों में भारत के राजभाषा संबंधित स्थिति को समझा जा सकता है। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा, अनुच्छेद 210 में राज्य के विधानमंडलो की भाषा एवं अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा, अनुच्छेद 345-347 प्रादेशिक भाषाएँ, 348-349 उच्चन्यायालय की भाषा, अनुच्छेद 350 में किसी व्यथा के निवारण के लिए व्यक्ति हेतु भाषिक स्वतंत्रता एवं 351 में हिंदी भाषा की विकास, प्रचार-प्रसार वृद्धि आदि संबंधित निर्देश किया गया है। 1 मार्च 1971 का गृहमंत्रालय के आधीन 'कैंद्रीय अनुवाद ब्युरो' की स्थापना की गई एवं कैंद्र सरकार मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असाविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्युरों को सौंपा।

निष्कर्ष :

अत: उपरोक्त विवरण के आधार हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा स्वरूप और अनुवाद का आज सरकारी कार्यालयों में अति आवश्यक उपयोगी सिद्ध होता है। अधिकांश सरकारी कार्यालयों में भारत के विभिन्न राज्यों के लोग व्यवसाय से जुड़े होते हैं जो अधिकांश रूप में हिंदी और अंग्रेजी भाषा से ज्ञात होते हैं। इसी कारण सरकारी कार्यालयों में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालयों में पत्राचार के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विशेष देखने को मिलता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न क्षेत्र आज पनपे है जैसे कि विधि, बैंक, चिकित्सा, रेल्वे एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रयोजनमूलक हिंदी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जो सार्थक सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. डॉ. सिंह, राम गोपाल, प्रयोजनमूलक हिंदी, पृ. 13
2. वही, पृ. 16
3. चौधरी, शीतल, प्रयोजनमूलक हिंदी, पृ. 2
4. वही,
5. डॉ. कलवार, किशोरीलाल, हिंदी अनुवाद परंपरा एक अनुशीलन, पृ. 1
6. डॉ. सिंह, राम गोपाल, अनुवाद भारती, पृ. 12
7. डॉ. झाला, ओघड, एल, हिंदी अनुवाद का सिद्धांत और प्रयोग, पृ. 42
8. वही,
9. सोनटक्के, माधव, प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयुक्ति एवं अनुवाद, पृ. 132